दानिश हिल्स पर्यावरण एवं शासकीय भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा

प्रति,

कलेक्टर मोहदय

भोपाल, मध्य प्रदेश।

विषय - दनिश हिल्स व्यू से लगी अकबरपुर सर्वे क्रमांक 3 की लगभग 400-500 करोड़ की शासकीय भूमि पर भू माफिया द्वारा अवैध रूप से पहाड़ व पेड़ काट कर प्लाटिंग कर, वन्यजीवों के आवास को नष्ट करने, बिना नंबर की जेसीबी/पोकलेन मशीनों के संचालन तथा माननीय NGT व अन्य शासकीय आदेशों के उल्लंघन के संबंध में ।

महोदय,

हम सभी दनिश हिल्स व्यू के निवासी इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान एक अति गंभीर संवेदनशील और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले मामले की ओर आकर्षित करना चाहते है -

1. **अवैध उत्खनन और कटाई**- दानिश हिल्स व्यू के समीप लगभग 400-500 करोड़ की शासकीय भूमि (अकबपुर सर्वे क्रमांक 3) पर भू माफिया द्वारा पिछले कुछ समय से भारी मशीनों द्वारा अवैध रूप से पहाडों को तोड़ा जा रहा है और हरे-भरे पेडों को अंधाधुंध कटाई की जा रही है एवं भू माफिया द्वारा बेश किमती शासकीय भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर लगभग 100-125 बड़े प्लाट काटे जा रहे है जिन्हें बड़े अधिकारोयो को लाभान्वित कर करोड़ों में बेचा जा रहा है ।

2. **वन्यजीवों को खतरा (बाघ भ्रमण क्षेत्र):** यह संपूर्ण बाघ (टाइगर) का सक्रिय भ्रमण क्षेत्र (मूवमेंट एरिया) है। यहां राष्ट्रीय पक्षी मोर के अंडे/घोंसले, तथा कई दुर्लभ पशु-पक्षी और अन्य वन्यजीव निवास करते है। इस अवैध कटाई और मशीनों के शोर से इन बेजुबान वन्यजीवों का प्राक्रतिक आवास पूरी तरह नष्ट हो रहा है, जिससे वे आबादी वाले क्षेत्र में घुसने को मजबूर हो रहे है, जो रहवासियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है ।

3. **बिना नंबर की मशीनों व परमिशन का अभाव:** मौके पर काम कर रही जेसीबी (जेसीबी) और पोकलेन (पोकलेन) मशीनों पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है, जो कि पूरी तरह गैर-कानूनी है जब स्थानीय रहवासियों ने वहां काम कर रहे लोगों और ठेकेदारों से इस संबंध में पूछताछ की, तो वे कोई भी वैध सरकारी अनुमति (परमिशन) या दस्तावेज नहीं दिखा सके। विवाद व कानून-व्यवस्था की स्थिति: पूछने पर ठेकेदारों द्वारा यह कहा जा रहा है कि उन्हें यह काम 'दानिश कंपनी' से मिला है। चूंकि यह पूरी तरह शासकीय भूमि है, इसलिए निजी कंपनी के नाम पर हो रहा यह काम पूरी तरह संदिग्ध और भू-माफियाओं की साठगांठ की ओर इशारा करता है।

जब रहवासी इस पर्यावरण विनाश का विरोध करते है, तो ठेकेदार और उनके मजदूर विवाद पर उतारू हो जाते है, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बिगडने और शांति भंग होने की स्थिति बनी हुई है।

4. **प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही**- इस खबर को 9 जुलाई 26 को सभी प्रतिष्ठित प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा एवं 10 जुलाई को प्रशासन की टीम तहसीलदार, आर आई व पटवारी द्वारा स्थल का निरीक्षण करने पर शासकीय भूमि अकबरपुर सर्वे क्रमांक 3 पर अवैध उत्खनन, घनी हरियाली उजाड़ते, पहाड़-पेड़ों को काटते हुए पाया गया। मशीनों द्वारा किए जा रहे प्रकृति के इस विनाश कृत्य को बंद कराया गया एवं शासकीय अधिकारियों द्वारा इसका पंचनामा बनाया गया। मौके पर कार्यवाही कर रही एक पोकलेन मशीन की जब्ती बनाकर दानिश हिल्स रहवासियों के नाम पर सुपुर्दगी दी गई, जिससे की रहवासियों के ऊपर एक गंभीर जिम्मेदारी बढ़ने के साथ-साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना या विवाद होने की स्थिति बन सकती है। अतः नियम अनुसार कार्यवाही कर इस मशीन की जब्ती प्रशासन के सुपुर्दगी हो।

5. **न्यायालयीन एवं शासकीय आदेशों का उल्लंघनः**

यहां यह उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि उक्त भूमि के संबंध में पूर्व से ही कड़े वैधानिक आदेश जारी है :
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन०जी०टी०) आदेश क्रमांक 171/2023
वन विभाग (फारेस्ट डिपार्टमेंट) आदेश क्रमांक 6901/2025
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदेश क्रमांक पी०जी०-3/2026

6. **सहकारिता के नाम पर बन्दर बाट** -दानिश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित में वित्तीय एवं प्रशानिक अनियमितताएं की भरमार है। यह सहकारिता के नाम पर अवैध कब्ज़े, प्लॉटिंग एवं अनेको अमर्यादित कार्य होते है। यह सोसाइटी ५२ साल से कार्यरत है फिर भी अभी तक यहाँ के रहवासीय गण मुलभूत सुविधाओं के लिए तरसते है, जैसे की रोड, जल प्रदाय, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज चैम्बर्स, लाइट, स्कूल, कम्युनिटी हाल, इत्यादि। यह सोसाइटी एकतरफा एवं एकल निर्णय लेती है, जिसमे हम सदस्यों की कोई भूमिका नहीं रहती है। अभी तक सदस्यों को यहाँ के ऑडिटेड एकाउंट्स, डेवेलोपमेंट की रणनीति, वार्षिक जनरल मीटिंग, मेंबरस रिकॉर्ड एवं लिस्ट इत्यादि नहीं बताई गयी है।

इस खबर को 9 जुलाई 26 को सभी प्रतिष्ठित प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा एवं 10 जुलाई को प्रशासन की टीम तहसीलदार, आर आई व पटवारी द्वारा स्थल का निरीक्षण करने पर शासकीय भूमि अकबरपुर सर्वे क्रमांक 3 पर अवैध उत्खनन, घनी हरियाली उजाड़ते, पहाड़-पेड़ों को काटते हुए पाया गया। मशीनों द्वारा किए जा रहे प्रकृति के इस विनाश कृत्य को बंद कराया गया एवं शासकीय अधिकारियों द्वारा इसका पंचनामा बनाया गया। मौके पर कार्यवाही कर रही एक पोकलेन मशीन की जब्ती बनाकर दानिश हिल्स रहवासियों के नाम पर सुपुर्दगी दी गई, जिससे की रहवासियों के ऊपर एक गंभीर जिम्मेदारी बढ़ने के साथ-साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना या विवाद होने की स्थिति बन सकती है। अतः नियम अनुसार कार्यवाही कर इस मशीन की जब्ती प्रशासन के सुपुर्दगी हो।

उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण आदेशों के अनुसार, माननीय कलेक्टर महोदय भोपाल को उक्त भूमि (अकबरपुर सर्वे क्रमांक-3) के सीमांकन (Demarcation) की जांच के स्पष्ट आदेश दिए गए है। इन आदेशों के प्रभावी रहते हुए भी भू-माफियाओं द्वारा धडल्ले से निर्माण व उत्खनन कार्य करना सीधे तौर पर न्यायालय और प्रशासन की अवमानना है।

अंत: श्रीमान से विनम्र अनुरोध है कि माननीय एन०जी०ओ०, वन विभाग और भारत सरकार के आदेशों का पालन करते हुए तत्काल मौके का निरीक्षण कर इस अवैध उत्खनन और पेडों की कटाई को रूकवाया जाए। उक्त शासकीय भूमि का अविलंब सीमांकन (Investigation & Demarcation) कराया जाए। बिना नंबर की अवैध मशीनों को जब्त कर, संबंधित ठेकेदारों और अन्य दोषियों के विरुद्ध शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाए।

अंत- महोदय से निवेदन है कि भू माफियाओ के खिलाफ त्वरित कार्यवाही कर बेशकिमती शासकीय भूमि, पहाड़ एवं वर्षो पुराने हरे भेर व़क्षों को बचाया जाए हम क्षेत्रवासी आपके त्वरित सहयोग और न्यायपूर्ण कार्यवाही के लिए सदैव आभारी रहेंगे ।

दानिश हिल्स व्यू के रहवासी,

दिनांक: 14 जुलाई 2026

स्थान: भोपाल

धन्यवाद ।

सलग्न :

1 – लगभग २०० रहवासियो द्वारा हस्ताक्षरित लिस्ट (11-12 पेज)।
2 – न्यायालयीन एवं शासकीय आदेशों प्रतिलिपि।
   माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन०जी०टी०) आदेश क्रमांक 171/2023 की प्रति
   वन विभाग (फारेस्ट डिपार्टमेंट) आदेश क्रमांक 6901/2025 की प्रति
   भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदेश क्रमांक पी०जी०-3/2026 की प्रति
3 – समाचार पत्रों की प्रतियाँ।
4 – कोलर थाने में दिया गया था आवेदन।
5 – अकबरपुरा के खसरे की छाया प्रति ।